

 आजादी का अमृत महोत्सव	भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग विकास आयुक्त का कार्यालय नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नौएडा-दादरी रोड, फेज-II, नौएडा-201305 - टेलीफोन: 0120-2567268/69/70 ईमेल: dc@nsez.gov.in वेबसाइट: www.nsez.gov.in
--	---

जा.सं.ई-11011/01/2001-प्रशा.

दिनांक 08.04.2025

सेवा में,

कार्यालय के सभी अधिकारीगण/कर्मचारीगण/उपायुक्त (सीमाशुल्क)।

विषय: कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त जारी करने के सम्बन्ध में

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 07.04.2025 को हुई बैठक का कार्यवृत्त भेजने का निर्देश हुआ है।

कार्यालय के सभी अधिकारियों/अनुभागों से अनुरोध है कि इस पर समुचित कार्यवाही कर कृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सलंगन यथोक्त:

भवदीय,



(मोहन वीर रूहेला)

सहायक विकास आयुक्त

सूचनार्थ:

1. संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली

3. श्री छविल कुमार मेहेर

उप निदेशक (कार्यान्वयन)

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र-2)

302, सी.जी.ओ.भवन - 1

कमला नेहरु नगर गाजियाबाद 201002

सहायक विकास आयुक्त

का. प्रति.

श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक जनवरी से मार्च, 2025 दिनांक 07.04.2025 का कार्यवृत्त ।

संयुक्त विकास आयुक्त, महोदय की अध्यक्षता में कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 07.04.2025 को आयोजित की गई । बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम सलग्नक में इंगित हैं ।

2. सर्वप्रथम संयुक्त विकास आयुक्त, महोदय की अनुमति से पिछली बैठक दिनांक 02.01.2025 में लिए गए निर्णयों का जायजा लिया गया और इस तिमाही जनवरी से मार्च, 2025 में हिंदी नोटिंग और ड्राफ्टिंग के कार्य को देखा गया और जिस अनुभाग का हिंदी कार्य कम देखा गया उन अनुभागों को ज्यादा से ज्यादा हिंदी में कार्य करने के लिए कहा गया ।

3. हिंदी छमाही पत्रिका "प्रेरणा" अप्रैल से सितम्बर, 2024 के लिए कहानी/कविता/ड्राइंग इत्यादि जल्द से जल्द कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को देने के लिए कहा गया जिसके बाद पत्रिका जल्द छपने के लिए भेजी जा सके ।

4. बैठक के दौरान संयुक्त विकास आयुक्त, महोदय ने कार्यालय में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों की कॉपी हर तिमाही के दौरान हिंदी अनुभाग को देने के लिए कहा गया । जिसके बाद हिंदी का कार्य देख रहे अधिकारी या कर्मचारी उसे अलग फोल्डर में रख सके और होने वाले आगामी निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी को दिखाये जा सके ।

6. सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद दिया और बैठक सम्पन्न हुई ।

बैठक में उपस्थित होने वाले अधिकारियों की सूची ।

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त ।
2. श्री किरण मोहन मोहडीकर, उप विकास आयुक्त ।
3. श्री ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त ।
4. श्री नोमान हफिज़, उप विकास आयुक्त ।
5. श्री कृष्ण चन्द्र पन्त, वरिष्ठ लेखा अधिकारी ।
6. श्री मोहन वीर रूहेला, सहायक विकास आयुक्त ।
7. श्री प्रकाश चन्द उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त ।
8. श्री प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त ।
9. श्री राजेन्द्र मोहन कश्यप, सहायक विकास आयुक्त ।
10. श्री अरुण कुमार अग्रवाल, सहायक विकास आयुक्त ।